न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0– 01/2022–23

मो0 मनीर बनाम् रैयान मौजा–सुखाड़ी

–: आदेश :–

14.10.2022

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक मो0 मनीर, पे0–स्व0 शेख ताजुद्दीन, सा0–सुखाड़ी, थाना व, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–सुखाड़ी नं0–36 के ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, मेहरमा का पत्रांक–649/रा0 दिनांक–08.09.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–सुखाड़ी नं0–36 एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के पूर्व प्रधान शेख ताजुद्दीन थे, जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण प्रधानी पद रिक्त है, जिसके लिए मो0 मनीर पे0–स्व0 शेख ताजुद्दीन द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। वंशावली के आधार पर आवेदक मो0 मनीर अंतिम मृत प्रधान शेख ताजुद्दीन का पुत्र है। आवेदक मो0 मनीर को प्रधान नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः आवेदक के आवेदन के विरूद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, मेहरमा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा–सुखाड़ी नं0–36 अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–सुखाड़ी नं0–36 का प्रधान मो0 मनीर को नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 14.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Sd/- 14.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Raj Kumar
Adv
17/1/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.10 15:09:41 +05:30
Location: 192.168.223.157

F/Order.

Scanned with OKEN Scanner